

To control Pollution in Thermal Power Plants

721. Sh. Varun Chaudhary, MLA: Will the Environment Minister be pleased to State:-

- a. The amount of fine imposed by the Central Pollution Control Board on Thermal Power Plants in State together with its payment status.
- b. The steps taken by the Government as directed by the Central Pollution Control Board to reduce/control pollution in the thermal plants in the last three years?

SH. MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER

- (a) The Central Pollution Control Board has imposed an environment compensation amount of Rupees Eighteen Lakh per month, vide its order dated 08.05.2020, starting from 08.05.2020, on each of five Thermal Power Plants operating in the State of Haryana. However, the Thermal Power Stations have not paid the compensation, as the Ministry of Environment, Forests and Climate Change has extended the timelines for the compliance of environmental norms, vide its notification dated 31.03.2021.
- (b) In compliance of directions of the CPCB, Haryana Power Generation Corporation Ltd. is in the process of floating tenders to install Flue Gas Desulfurization System (FGD) and De-NOx combustion Modification System in their thermal plants at Panipat, Yamuna Nagar and Hisar and M/s Aravali Power Corporation Private Limited, Village- Jharli, District- Jhajjar has floated the tender for FGD. De-NOx combustion Modification System has been installed by M/s Aravali Power Corporation Private Limited in their thermal plant. M/s Jhajjar Power Limited, Village- Khanpur, Tehsil- Matanhail, District- Jhajjar has installed FGD and De-NOx combustion Modification System in their thermal plant.

ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करने बारे।

721. श्री वरुण चौधरी विधायक: क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

क. राज्य में ताप विद्युत संयंत्रों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि के साथ—2 इसकी भुगतान स्थिति के बारे में बतायें।

ख. पिछले तीन वर्षों में ताप संयंत्रों में प्रदूषण को कम करने/नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री। मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

(क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हरियाणा राज्य में संचालित पांच ताप विद्युत संयंत्रों में से प्रत्येक पर अठारह लाख रुपये प्रति माह की राशि का पर्यावरणीय मुआवजा अपने आदेश दिनांक 08.05.2020 से भुगताया है। हालांकि, ताप विद्युत संयंत्रों के द्वारा मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनांक 31.03.2021 के माध्यम से पर्यावरण मापदंडों के अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ा दी गयी है।

(ख) सीपीसीबी के निर्देशों के अनुपालन में, हरियाणा जनरेल एन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत, यमुना नगर और हिसार में अपने थर्मल प्लांट में Flue Gas Desulfurization System (FGD) and De-NOX combustion Modification System की स्थापना के लिए निविदाएं जारी करने की प्रक्रिया में है। मैसर्स अरावली पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम—झाड़ली, जिला—झज्जर ने FGD के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। मैसर्स अरावली पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने थर्मल प्लांट में De-NOX combustion Modification System स्थापित कर ली है। मैसर्स झज्जर पावर लिमिटेड, ग्राम—खानपुर, तहसील—मतनहेल, जिला—झज्जर ने अपने थर्मल प्लांट में FGD and De-NOX combustion Modification System स्थापित कर ली गई है।